JALAUN POLICE

दिनांक- 27.07.2026

थाना एट पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना में वान्छित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.07.2026 को थाना एट में श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 07.07.2026 की रात्रि मे चार पहिया वाहन मे सवार 3-4 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटर साइकिल के आगे अपनी कार लगाकर वादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हुये वादी का मोबाइल, मोटर साइकिल व 8000/- रुपये नगद लूट लिये है । जिसके संबन्ध में थाना एट में मु0अ0सं0 93/2026 धारा 309(4)/352/317(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ था। दिनांक 11.07.2026 को लूट की घटना का सफल अनावरण कर 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी थी एवं घटना में वान्छित अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में दिनांक 27.07.2026 को थाना एट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त अभियोग में वान्छित अभियुक्त स्वतन्त्र शर्मा उर्फ बिट्टू महाराज पुत्र अनिल कुमार नि0 ग्राम पण्डवाहा थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी को लूट के 790/- रूपये व 01 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद तमन्चा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना एट में मु0अ0सं0 108/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त का विवरण-

1. स्वतन्त्र शर्मा उर्फ बिट्टू महाराज पुत्र अनिल कुमार उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम पण्डवाहा थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी।

बरामदगी का विवरण-

1. 790/- रूपये नगद
2. 01 अदद तमन्चा व 01 अदद कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष एट मय पुलिस टीम।